

अभिदाता क्या करे व क्या न करे

क्या करे :

- 1 निर्धारित समय पर वर्ष में दो बार पास बुक का सत्यापन करे |
- 2 वार्षिक लेखा विवरण के प्राप्त होने पर तुरंत इसके सही होने की पुष्टि एवं इसकी पावती स्वीकार करे |
- 3 भविष्य निधि अद्यतन जानकारी के लिए आई वी आर एस और एस एम एस अलर्ट सुविधा का प्रयोग करे |
- 4 मिलान प्रकरण, अंतिम भुगतान प्रकरण एवं शिकायत निवारण की स्थिति, के लिए इस कार्यालय की वेब साईट पर जाएँ
- 5 आई वी आर एस और एस एम एस अलर्ट सुविधा के लिए पिन तथा मोबाइल नंबर पंजीकरण के लिए आवेदन करे |
- 6 जब इस कार्यालय में पधारे तो केवल आगंतुक सहायता कक्ष में संपर्क करे |
- 7 सभी सूची के कवर में अंकित भविष्य निधि अनुसूची एवं डेबिट वाउचर , बी वाउचर

Don'ts

1. भविष्य निधि लेखे में अनियमिताओ के समाधान के लिए विलम्ब न करे |
2. काम कर रहे सरकारी कर्मचारी से सीधे संपर्क न करे |